बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

11/7/24 आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील मय रि. श्री उप. नहीं है। वादी व वादी के वकील को बार-बार आवाज लगाई किन्तु वे उप. नहीं है। वादी ना ही तलबी प्रतिवादी हेतु तलबाना प्रस्तुत कर रहे हैं। जिससे वादी की उक्त वाद को आगे चलाने की रुचि प्रतीत नहीं होती है। अतः वादी का वाद O9 R05 में खारिज किया जाता है। पत्रावली नतीजा शुमार होकर नियम 2 // मिसल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramkishor Mina
Date: 2025.06.13 12:03:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)